

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

(i) राज्य/संघराज्यक्षेत्र छत्तीसगढ़

(ii) जिला अलीगढ़

(iii) जिला वन प्रभाग सिविल लोज का भगान कलापुर

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र ट्रॉटिक (जीलीनगर) ५ हेक्टेसी जारी

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिः सिविल - ६.२२७। वन्य ०.१८५८।

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा: चौड़ा, वांग, = ६.५०६६ Ha.

(i) वन का प्रकार झोप छोपीरह

(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व ०.१

(iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणाम खेलान है

(iv) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा कोई नहीं

19. भूकरण के लिए पूर्वक्षण हैं तु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी शुभजल है -

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी: २.८ Kms -

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्वा: कोई नहीं.

(i) पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा महत्वपूर्ण बना जाएगा विषमता नहीं

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के व्यौरे और उपावद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) जहाँ

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) कोई नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के व्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपावद्ध की जाए) कोई नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किरण के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके व्यौरे कोई नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सौ) के साथ उसका व्यौरा दें) जहाँ

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

(i) व्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता आसिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनलम है। छत्तीसगढ़ एवं न्यूलाल्पुर क्षेत्र में

- ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। हाँ
4. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :
- व्यापारियम् या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है हाँ/ नहीं
 - यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) नाम, पते और पंदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही नहीं
 - व्यापारिय अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है हाँ/ नहीं
5. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
- क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति। क्षेत्रफल 12.8092 Ha.
 - अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संचया क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे हैं। खसरा
 - क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 प के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्षा वन सीमाएं संलग्न हैं। खसरा
 - रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक रोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं हाँ/ नहीं
 - क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : रु. 26,82,146 =
 - व्यापारिय क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के वृष्टिकोणों से पहचानर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के रूप में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है हाँ/ नहीं
 - वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के सम्बंधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने ने उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है हाँ/ नहीं
 - स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों उक्त कार्यक्रमों का अनुसार उपलब्ध है
 - नाम: प्रभागीय वनाधिकारी
रिक्त: प्रभागीय वनाधिकारी
- ठिकाना: प्रभागीय वनाधिकारी
दिनांक: प्रभागीय वनाधिकारी
मुद्रा: प्रभागीय वनाधिकारी